

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
 कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010.
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विज्ञापन संख्या- 01/2017

**इंटरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता
 धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017**

1. निम्नवर्गीय लिपिक (समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग), निम्नवर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय संवर्ग), निम्नवर्गीय लिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम का लिपिकीय संवर्ग), निम्नवर्गीय लिपिक वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग), आशुलिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम का आशुलिपिकीय संवर्ग) तथा ग्रामीण विकास विभाग के तहत पंचायत सचिव की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में दिनांक 02.05.2017 से 15.06.2017 तक इंटरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017 के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अर्हता अनुसार पद की विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑन-लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट www.jssc.in पर लॉगईन (login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. रिक्तियों का विवरण :

(i) निम्नवर्गीय लिपिक (विभिन्न समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत)

पदों की संख्या

क्र. सं.	जिला	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन शैतिज आरक्षण				
		अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ.पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	राँची	16	03	10	01	02	32	01	00	00	00
2.	गुमला	08	00	07	00	00	15	00	00	00	00
3.	सिमडेगा	25	03	07	00	00	35	01	01	00	00
4.	लोहरदगा	22	01	21	00	00	44	02	01	00	00
5.	रामगढ़	12	02	05	02	03	24	01	00	00	00
6.	बोकारो	22	05	05	05	07	44	02	01	00	00
7.	धनबाद	48	13	06	09	12	88	04	01	01	00
8.	हजारीबाग	28	11	02	07	08	56	02	01	00	00
9.	चतरा	16	06	02	03	04	31	01	00	00	00
10.	कोडरमा	03	01	00	01	01	06	00	00	00	00
11.	गिरीडीह	49	13	11	11	13	97	04	01	01	00
12.	पलामू	75	35	04	00	10	124	06	01	01	01
13.	लातेहार	30	11	00	00	00	41	02	01	00	00
14.	गढ़वा	39	06	10	00	06	61	03	01	00	00

15.	दुमका	04	00	00	00	00	04	00	00	00	00
16.	देवघर	10	01	01	01	00	13	00	00	00	00
17.	जामताड़ा	07	01	05	00	00	13	00	00	00	00
18.	गोड़डा	13	02	06	02	03	26	01	00	00	00
19.	साहेबगंज	08	01	06	01	00	16	00	00	00	00
20.	पाकुड़	02	01	01	00	00	04	00	00	00	00
21.	पश्चिमी सिंहभूम	86	04	35	00	00	125	06	01	01	01
22.	सरायकेला-खरसावाँ	19	03	10	01	02	35	01	01	00	00
23.	पूर्वी सिंहभूम	31	04	00	06	08	49	02	01	00	00
कुल योग		573	127	154	50	79	983	39	12	04	02

(ii) पंचायत सचिव (ग्रामीण विकास विभाग)

पंचायत सचिवों की जिलावार आरक्षण सहित पदों की विवरणी:-

क्रम सं.	जिला का नाम	कुल रिक्ति	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी {} में अंकित पद महिला के लिये कर्णांकित है जबकि () में अंकित पद महिलाओं के लिए कर्णांकित में से तलाकशुदा/विधवा महिला के लिये कर्णांकित हैं।	जिलावार कुल रिक्ति के अधीन		
				दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7
1	दुमका	74	अनारक्षित-38 {19}(1)	1	1	0
			अ.ज.जा.-32 {16}(1)			
			अ.जा.-04 {2}			
2	साहेबगंज	36	अनारक्षित-18 {9}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-14 {7}(0)			
			अ.जा.-02 {1}			
			पि.व.-1-1			
			पि.व.-2-1			
3	गोड़डा	84	अनारक्षित-42 {21}(1)	1	1	1
			अ.ज.जा.-21 {11}(1)			
			अ.जा.-07 {3}			
			पि.व.-1-9 {5}(0)			
			पि.व.-2-5 {2}(0)			
4	देवघर	53	अनारक्षित-26 {13}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-6 {3}			
			अ.जा.-7 {3}			
			पि.व.-1-6 {3}(0)			
			पि.व.-2-8 {4}			
5	जामताड़ा	41	अनारक्षित-21 {10}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-14 {7}			
			अ.जा.-5 {2}			

क्रम सं.	जिला का नाम	कुल रिक्ति	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी {} में अंकित पद महिला के लिये कर्णांकित है जबकि () में अंकित पद महिलाओं के लिए कर्णांकित में से तलाकशुदा/विधवा महिला के लिये कर्णांकित हैं।	जिलावार कुल रिक्ति के अधीन		
				दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्ता
1	2	3	4	5	6	7
			पि.व.-2-1			
6	पाकुड़	35	अनारक्षित-18 {9}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-11 {6}			
			अ.जा.-3 {1}			
			पि.व.-1-1			
			पि.व.-2-2 {1}			
7	गिरिडीह	124	अनारक्षित-62 {31}(2)	2	1	1
			अ.ज.जा.-15 {7}			
			अ.जा.-17 {9}			
			पि.व.-1-13 {6}			
			पि.व.-2-17 {9}(1)			
8	कोडरमा	54	अनारक्षित-27 {13}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-04 {2}			
			अ.जा.-10 {5}(1)			
			पि.व.-1-6 {3}			
			पि.व.-2-7 {3}			
9	चतरा	28	अनारक्षित-14 {7}(1)	0	0	0
			अ.ज.जा.-3 {1}			
			अ.जा.-5 {3}			
			पि.व.-1-2 {1}			
			पि.व.-2-4 {2}			
10	धनबाद	90	अनारक्षित-45 {22}(1)	1	1	0
			अ.ज.जा.-07 {3}			
			अ.जा.-14 {7}			
			पि.व.-1-11 {5}			
			पि.व.-2-13 {7}			
11	बोकारो	155	अनारक्षित-78 {39}(2)	2	2	1
			अ.ज.जा.-18 {9}			
			अ.जा.-20 {10}(1)			
			पि.व.-1-17 {8}			
			पि.व.-2-22 {11}(1)			

क्रम सं.	जिला का नाम	कुल रिक्ति	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी {} में अंकित पद महिला के लिये कर्णांकित है जबकि () में अंकित पद महिलाओं के लिए कर्णांकित में से तलाकशुदा/विधवा महिला के लिये कर्णांकित हैं।	जिलावार कुल रिक्ति के अधीन		
				दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7
12	हजारीबाग	118	अनारक्षित-59 {29}(2)	2	1	1
			अ.ज.जा.-4 {2}			
			अ.जा.-24 {12}(1)			
			पि.व.-1-13 {6}			
			पि.व.-2-18 {9}			
13	रामगढ़	94	अनारक्षित-47 {23}(2)	1	1	1
			अ.ज.जा.-19 {10}			
			अ.जा.-10 {5}			
			पि.व.-1-8 {4}			
			पि.व.-2-10 {5}			
14	पलामू	90	अनारक्षित-45 {22}(2)	1	1	0
			अ.ज.जा.-8 {4}			
			अ.जा.-28 {14}(1)			
			पि.व.-2-9 {4}			
15	गढ़वा	78	अनारक्षित-43 {21}(2)	1	1	0
			अ.ज.जा.-18 {9}			
			अ.जा.-15 {7}			
			पि.व.-1-1			
			पि.व.-2-1			
16	लातेहार	26	अनारक्षित-13 {6}(1)	0	0	0
			अ.ज.जा.-8 {4}			
			अ.जा.-05 {2}			
17	राँची	68	अनारक्षित-34 {17}(1)	1	1	0
			अ.ज.जा.-25 {12}(1)			
			अ.जा.-03 {1}			
			पि.व.-1-4 {2}			
			पि.व.-2-2 {1}			
18	सिमडेगा	22	अनारक्षित-11 {5}	0	0	0
			अ.ज.जा.-10 {5}(1)			
			अ.जा.-1			
19	गुमला	34	अनारक्षित-17 {8}	1	0	0

क्रम सं.	जिला का नाम	कुल रिक्ति	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी {} में अंकित पद महिला के लिये कर्णांकित है जबकि () में अंकित पद महिलाओं के लिये कर्णांकित में से तलाकशुदा/विधवा महिला के लिये कर्णांकित हैं।	जिलावार कुल रिक्ति के अधीन		
				दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7
			अ.ज.जा.-16 {8}(1)			
			अ.जा.-01			
20	लोहरदगा	12	अनारक्षित-6 {3}	0	0	0
			अ.ज.जा.-5 {2}			
			अ.जा.-1			
21	पूर्वी सिंहभूम	94	अनारक्षित-54 {27}(1)	1	1	1
			अ.ज.जा.-25 {12}(1)			
			अ.जा.-03 {1}			
			पि.व.-1-8 {4}			
			पि.व.-2-4 {2}			
22	प. सिंहभूम	82	अनारक्षित-45 {22}(1)	1	1	0
			अ.ज.जा.-32 {16}(1)			
			अ.जा.-05 {2}			
23	सरायकेला - खरसाँवा	47	अनारक्षित-23 {11}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-18 {9}			
			अ.जा.-02 {1}			
			पि.व.-1-2 {1}			
			पि.व.-2-2 {2}			
कुल		1539				

(iii) निम्न वर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय संवर्ग- राज्यस्तरीय संवर्ग)

पदों की संख्या

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ0 पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	94	19	49	11	15	188	09	02	02	02

(iv) निम्न वर्गीय लिपिक (जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची के तहत राज्य स्तरीय संवर्ग)

पदों की संख्या

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन शैतिज आरक्षण				
	अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ0 पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	23	05	12	03	03	46	02	01	01	00

(v) निम्न वर्गीय लिपिक (वाणिज्य-कर विभाग, झारखंड, रांची के तहत राज्य स्तरीय संवर्ग)

पदों की संख्या

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन शैतिज आरक्षण				
	अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ0 पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	14	01	13	00	00	28	03	01	01	01

(vi) आशुलिपिक (जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची के तहत राज्य स्तरीय संवर्ग)

पदों की संख्या

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन शैतिज आरक्षण				
	अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ0 पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	12	03	06	01	02	24	01	01	00	00

3. पदों के लिए विकल्प:-

अहर्ता प्राप्त आवेदक एक से अधिक पदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार अधिमानता क्रम में दे सकते हैं, परन्तु अधिसूचित जिलों (यथा विवरणिका की कंडिका 3 (ii) में अंकित) की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध उसी जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन देने के पात्र होंगे।

इंटरमीडिएट अथवा 10+2 के साथ पद विशेष की अपेक्षानुसार कौशल परीक्षण की योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी पदों का विकल्प अधिमानता क्रम में दे सकते हैं।

विकल्प दो खण्डों में होगा। प्रथम विकल्प पदों के लिए तथा द्वितीय विकल्प जिलों के लिए (जहाँ लागू हो) होगा। इस आशय की सुविधा ऑन-लाईन आवेदन भरने के क्रम में उपलब्ध रहेगी। विकल्प के विस्तृत प्रावधान विवरणिका में अंकित हैं।

4.1 कंडिका-2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान (सांतवा वेतन पुनरीक्षण)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कौशल एवं अन्य परीक्षण
1	2	3	4	5
1.	निम्नवर्गीय लिपिक (समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग)	रू. 19900-45700	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	हिन्दी में 25 (पचीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 (दो सौ पचास) शब्दों को दस मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% (दो प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिये जायेंगे।
2.	पंचायत सचिव	रू. 21700-50000	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण
3.	निम्नवर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय संवर्ग)	रू. 19900-45700	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	हिन्दी में 25 (पचीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 (दो सौ पचास) शब्दों को दस मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% (दो प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिये जायेंगे।
4.	निम्नवर्गीय लिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग)	रू. 19900-45700	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	हिन्दी में 25 (पचीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 (दो सौ पचास) शब्दों को दस मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% (दो प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिये जायेंगे।
5.	निम्नवर्गीय लिपिक वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग)	रू. 19900-45700	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	हिन्दी में 25 (पचीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 (दो सौ पचास) शब्दों को दस मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% (दो प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिये जायेंगे।
6.	आशुलिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अन्तर्गत जिला उपभोक्ता	रू. 19900-45700	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	अनारक्षित कोटि, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II के सन्दर्भ में हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी टाईपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान (सांतवा वेतन पुनरीक्षण)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कौशल एवं अन्य परीक्षण
	विवाद निवारण फोरम का आशुलिपिकीय संवर्ग)			मिनट तथा हिन्दी टाईपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति। अंग्रेजी टंकण एवं श्रुत लेखन में उत्तीर्णता अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी।

4.2 पंचायत सचिव के पद का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में आयोजित कम्प्यूटर चालन परीक्षण में अभ्यर्थी के MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, E-mail भेजने एवं प्राप्त करने इत्यादि के व्यावहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इसके अधीन टंकण तथा Power Point Presentation तैयार करने के लिए अनुच्छेद (Paragraph), MS-Excel पर जाँच के लिए औसत, प्रतिशत, जोड़, घटाव इत्यादि से सम्बन्धित आंकड़े अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। प्रश्न के अनुसार इनका उत्तर तैयार कर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपने रजिस्टर्ड ई-मेल से प्रश्न में दिए गये ई-मेल पर भेजना होगा। इसमें प्रत्येक खण्ड के लिए अधिकतम 25 अंक कुल 100 अंक निर्धारित रहेंगे। कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। उससे कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में अनुत्तीर्ण धोषित होंगे।

4.3 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के आशुलिपिक के पद के विरुद्ध आवेदकों के मुख्य परीक्षा के उपरांत लिए जाने वाले कौशल परीक्षण का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा:-

- क) हिन्दी टाईपिंग – 30 शब्द प्रति मिनट।
- ख) हिन्दी आशुलेखन – 80 शब्द प्रति मिनट।
- ग) अंग्रेजी टाईपिंग – 40 शब्द प्रति मिनट।
- घ) अंग्रेजी आशुलेखन – 100 शब्द प्रति मिनट।

कौशल परीक्षण में उत्तीर्णता के लिए अनारक्षित, अ.पि.व. अनुसूची-I, पि.व. अनुसूची-II के अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य होगा।

अंग्रेजी टंकण एवं श्रुतलेखन में उत्तीर्णता अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी।

4.4 शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे अयोग्य समझे जायेंगे।

5. आयु सीमा:-

1. न्यूनतम उम्र :- 18 वर्ष।

2. अधिकतम उम्र :- (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25.01.2016 द्वारा यथा निर्धारित)

(क)	अनारक्षित	—	35 वर्ष।
(ख)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग— (अनुसूची— 1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची—2 (पुरुष)	—	37 वर्ष।
(ग)	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)	—	40 वर्ष।
(घ)	झारखण्ड राज्य की स्थानीय निवासी महिला (अनारक्षित—झारखण्ड की स्थानीय निवासी), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची— 1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची—2	—	38 वर्ष।

- (i) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्सद से विहित प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तता का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।
- (ii) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. आरक्षण :

- (I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगी। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे।
- (III) विवरणिका में यथा इंगित अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में 2 (दो) प्रतिशत पद आदिम जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होंगे। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त पद अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।

- 7. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :-** झारखण्ड राज्य के महिला स्थानीय निवासियों के द्वारा क्षैतिज आरक्षण के दावे के समर्थन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं०—4650, दिनांक 02.06.2016 द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक—02.06.2016 अथवा इसके उपरांत जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रविष्टि आवेदन पत्र में संबंधित आवेदकों द्वारा की जायेगी। प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप परिशिष्ट - III के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

8. **परीक्षा का स्वरूप** : परीक्षा का स्वरूप विवरणिका में अंकित है।

9. **परीक्षा शुल्क** :

परीक्षा शुल्क रू. 460/- (रूपये चार सौ साठ) है।

परीक्षा शुल्क में छूट:- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू. 115/- (रूपये एक सौ पन्द्रह) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अपेक्षित राशि का भुगतान भी करना होगा।

10. **आवेदन पत्र को भरना एवं उसे समर्पित करना :-**

10.1 अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट www.jssc.in पर जाएँ एवं Online Application for **IS(CKHT)CCE-2017** पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र भरने के क्रम में नियुक्ति हेतु पद का विकल्प अपने कौशल योग्यतानुसार देना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का लिंक दिनांक **02.05.2017** के 11.00 बजे पूर्वाह्न से उपलब्ध होगा तथा आवेदन को भेजने (Submit) करने की अन्तिम तिथि दिनांक **15.06.2017** के मध्य रात्रि तक है।

10.2 अभ्यर्थी प्रथमतः अपना प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन के साथ प्रारंभिक विवरण भरेंगे। इसके तहत प्रारंभिक विवरण भरने का लिंक दिनांक 09.06.2017 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। इस तिथि के बाद अभ्यर्थी अपना प्रारंभिक विवरण नहीं भर पायेंगे। **आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।**

10.3 परीक्षा शुल्क भुगतान करने तथा भरे गये आवेदन के विरुद्ध **Re-login** कर भुगतान का विवरण ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज करने तथा अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र समर्पित करने के लिए लिंक दिनांक **15.06.2017** के मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। आवेदन पत्र को **Submit** करने के बाद भरे गये आवेदन पत्र का प्रिंट लिया जा सकता है। इस स्तर पर ही आवेदन की प्रक्रिया सम्पूर्ण होती है।

11. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन भरने के पूर्व आयोग के वेबसाईट www.jssc.in पर उपलब्ध इस परीक्षा की विवरणिका को अवश्य देख लें।

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक।



झारखण्ड सरकार,

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चायबगान, कालीनगर, नामकोम, राँची-834010.

विवरणिका

विज्ञापन संख्या-01 / 2017

इंटरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में
हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त
प्रतियोगिता परीक्षा-2017

IS(CKHT)CCE-2017 (Regular Vacancy)

- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या-11/क.च.आ.-02-04/2013 का. 4068 (अनु.) दिनांक 05.05.2015 तथा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक- 3/अ.क्षे.स्था. (नियुक्ति/लिपिक)-36/15-5792/रा. दिनांक 30.12.2015 के द्वारा संसूचित **निम्न वर्गीय लिपिक** की रिक्तियों, योजना-सह- वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3480 एवं 3481 दिनांक 30.11.2015 के द्वारा संसूचित राज्य के कोषागार कार्यालयों में **निम्न वर्गीय लिपिक** की संसूचित रिक्ति, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या 11/क.च.आ.-02/2016 के द्वारा **पंचायत सचिव** एवं पत्र संख्या 3114 दिनांक 15.03.2017 द्वारा वाणिज्य -कर विभाग के तहत **निम्न वर्गीय लिपिक**, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक 805 दिनांक 22.02.2017 द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के तहत **निम्न वर्गीय लिपिक**, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 3953 दिनांक 25.03.2017 के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तहत **आशुलिपिक** की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में इंटरमीडियेट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017 के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अर्हता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑन-लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट www.jssc.in पर लॉगईन (login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. रिक्तियों का विवरण :

(i) निम्नवर्गीय लिपिक (विभिन्न समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत)

पदों की संख्या

क्र. सं.	जिला	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
		अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ.पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	राँची	16	03	10	01	02	32	01	00	00	00
2.	गुमला	08	00	07	00	00	15	00	00	00	00
3.	सिमडेगा	25	03	07	00	00	35	01	01	00	00
4.	लोहरदगा	22	01	21	00	00	44	02	01	00	00
5.	रामगढ़	12	02	05	02	03	24	01	00	00	00
6.	बोकारो	22	05	05	05	07	44	02	01	00	00
7.	धनबाद	48	13	06	09	12	88	04	01	01	00
8.	हजारीबाग	28	11	02	07	08	56	02	01	00	00
9.	चतरा	16	06	02	03	04	31	01	00	00	00
10.	कोडरमा	03	01	00	01	01	06	00	00	00	00
11.	गिरीडीह	49	13	11	11	13	97	04	01	01	00
12.	पलामू	75	35	04	00	10	124	06	01	01	01
13.	लातेहार	30	11	00	00	00	41	02	01	00	00
14.	गढ़वा	39	06	10	00	06	61	03	01	00	00

15.	दुमका	04	00	00	00	00	04	00	00	00	00
16.	देवघर	10	01	01	01	00	13	00	00	00	00
17.	जामताड़ा	07	01	05	00	00	13	00	00	00	00
18.	गोड़डा	13	02	06	02	03	26	01	00	00	00
19.	साहेबगंज	08	01	06	01	00	16	00	00	00	00
20.	पाकुड़	02	01	01	00	00	04	00	00	00	00
21.	पश्चिमी सिंहभूम	86	04	35	00	00	125	06	01	01	01
22.	सरायकेला-खरसावाँ	19	03	10	01	02	35	01	01	00	00
23.	पूर्वी सिंहभूम	31	04	00	06	08	49	02	01	00	00
कुल योग		573	127	154	50	79	983	39	12	04	02

(ii) पंचायत सचिव (ग्रामीण विकास विभाग)

पंचायत सचिवों की जिलावार आरक्षण सहित पदों की विवरणी:-

क्रम सं.	जिला का नाम	कुल रिक्ति	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी {} में अंकित पद महिला के लिये कर्णांकित है जबकि () में अंकित पद महिलाओं के लिए कर्णांकित में से तलाकशुदा/विधवा महिला के लिये कर्णांकित हैं।	जिलावार कुल रिक्ति के अधीन		
				दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7
1	दुमका	74	अनारक्षित-38 {19}(1)	1	1	0
			अ.ज.जा.-32 {16}(1)			
			अ.जा.-04 {2}			
2	साहेबगंज	36	अनारक्षित-18 {9}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-14 {7}(0)			
			अ.जा.-02 {1}			
			पि.व.-1-1			
			पि.व.-2-1			
3	गोड़डा	84	अनारक्षित-42 {21}(1)	1	1	1
			अ.ज.जा.-21 {11}(1)			
			अ.जा.-07 {3}			
			पि.व.-1-9 {5}(0)			
			पि.व.-2-5 {2}(0)			
4	देवघर	53	अनारक्षित-26 {13}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-6 {3}			
			अ.जा.-7 {3}			
			पि.व.-1-6 {3}(0)			
			पि.व.-2-8 {4}			
5	जामताड़ा	41	अनारक्षित-21 {10}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-14 {7}			

क्रम सं.	जिला का नाम	कुल रिक्ति	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी {} में अंकित पद महिला के लिये कर्णांकित है जबकि () में अंकित पद महिलाओं के लिए कर्णांकित में से तलाकशुदा/विधवा महिला के लिये कर्णांकित हैं।	जिलावार कुल रिक्ति के अधीन		
				दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7
			अ.जा.-5 {2}			
			पि.व.-2-1			
6	पाकुड़	35	अनारक्षित-18 {9}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-11 {6}			
			अ.जा.-3 {1}			
			पि.व.-1-1			
			पि.व.-2-2 {1}			
7	गिरिडीह	124	अनारक्षित-62 {31}(2)	2	1	1
			अ.ज.जा.-15 {7}			
			अ.जा.-17 {9}			
			पि.व.-1-13 {6}			
			पि.व.-2-17 {9}(1)			
8	कोडरमा	54	अनारक्षित-27 {13}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-04 {2}			
			अ.जा.-10 {5}(1)			
			पि.व.-1-6 {3}			
			पि.व.-2-7 {3}			
9	चतरा	28	अनारक्षित-14 {7}(1)	0	0	0
			अ.ज.जा.-3 {1}			
			अ.जा.-5 {3}			
			पि.व.-1-2 {1}			
			पि.व.-2-4 {2}			
10	धनबाद	90	अनारक्षित-45 {22}(1)	1	1	0
			अ.ज.जा.-07 {3}			
			अ.जा.-14 {7}			
			पि.व.-1-11 {5}			
			पि.व.-2-13 {7}			
11	बोकारो	155	अनारक्षित-78 {39}(2)	2	2	1
			अ.ज.जा.-18 {9}			
			अ.जा.-20 {10}(1)			

क्रम सं.	जिला का नाम	कुल रिक्ति	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी {} में अंकित पद महिला के लिये कर्णांकित है जबकि () में अंकित पद महिलाओं के लिए कर्णांकित में से तलाकशुदा/विधवा महिला के लिये कर्णांकित हैं।	जिलावार कुल रिक्ति के अधीन		
				दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7
			पि.व.-1-17 {8}			
			पि.व.-2-22 {11}(1)			
12	हजारीबाग	118	अनारक्षित-59 {29}(2)	2	1	1
			अ.ज.जा.-4 {2}			
			अ.जा.-24 {12}(1)			
			पि.व.-1-13 {6}			
			पि.व.-2-18 {9}			
13	रामगढ़	94	अनारक्षित-47 {23}(2)	1	1	1
			अ.ज.जा.-19 {10}			
			अ.जा.-10 {5}			
			पि.व.-1-8 {4}			
			पि.व.-2-10 {5}			
14	पलामू	90	अनारक्षित-45 {22}(2)	1	1	0
			अ.ज.जा.-8 {4}			
			अ.जा.-28 {14}(1)			
			पि.व.-2-9 {4}			
15	गढ़वा	78	अनारक्षित-43 {21}(2)	1	1	0
			अ.ज.जा.-18 {9}			
			अ.जा.-15 {7}			
			पि.व.-1-1			
			पि.व.-2-1			
16	लातेहार	26	अनारक्षित-13 {6}(1)	0	0	0
			अ.ज.जा.-8 {4}			
			अ.जा.-05 {2}			
17	राँची	68	अनारक्षित-34 {17}(1)	1	1	0
			अ.ज.जा.-25 {12}(1)			
			अ.जा.-03 {1}			
			पि.व.-1-4 {2}			
			पि.व.-2-2 {1}			

क्रम सं.	जिला का नाम	कुल रिक्ति	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी {} में अंकित पद महिला के लिये कर्णांकित है जबकि () में अंकित पद महिलाओं के लिए कर्णांकित में से तलाकशुदा/विधवा महिला के लिये कर्णांकित हैं।	जिलावार कुल रिक्ति के अधीन		
				दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7
18	सिमडेगा	22	अनारक्षित-11 {5}	0	0	0
			अ.ज.जा.-10 {5}(1)			
			अ.जा.-1			
19	गुमला	34	अनारक्षित-17 {8}	1	0	0
			अ.ज.जा.-16 {8}(1)			
			अ.जा.-01			
20	लोहरदगा	12	अनारक्षित-6 {3}	0	0	0
			अ.ज.जा.-5 {2}			
			अ.जा.-1			
21	पूर्वी सिंहभूम	94	अनारक्षित-54 {27}(1)	1	1	1
			अ.ज.जा.-25 {12}(1)			
			अ.जा.-03 {1}			
			पि.व.-1-8 {4}			
			पि.व.-2-4 {2}			
22	प. सिंहभूम	82	अनारक्षित-45 {22}(1)	1	1	0
			अ.ज.जा.-32 {16}(1)			
			अ.जा.-05 {2}			
23	सरायकेला - खरसाँवा	47	अनारक्षित-23 {11}(1)	1	0	0
			अ.ज.जा.-18 {9}			
			अ.जा.-02 {1}			
			पि.व.-1-2 {1}			
			पि.व.-2-2 {2}			
कुल		1539				

(iii) निम्न वर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय संवर्ग- राज्यस्तरीय संवर्ग)

पदों की संख्या

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ0 पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	94	19	49	11	15	188	09	02	02	02

- (iv) निम्न वर्गीय लिपिक (जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची के तहत राज्य स्तरीय संवर्ग)

पदों की संख्या										
क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ0 पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	23	05	12	03	03	46	02	01	01	00

- (v) निम्न वर्गीय लिपिक (वाणिज्य-कर विभाग, झारखंड, रांची के तहत राज्य स्तरीय संवर्ग)

पदों की संख्या										
क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ0 पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	14	01	13	00	00	28	03	01	01	01

- (vi) आशुलिपिक (जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची के तहत राज्य स्तरीय संवर्ग)

पदों की संख्या										
क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ0 पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	12	03	06	01	02	24	01	01	00	00

टिप्पणी: निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य-कर विभाग के तहत अ.ज.जा. कोटि के 13 कर्णांकित पदों में से 1 (एक) पद आदिम जनजाति के लिए क्षैतिज आरक्षण हेतु आरक्षित है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में 2 (दो) प्रतिशत पद आदिम जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त पद अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। आदिम जनजाति के आरक्षित पद के विरुद्ध दावा करने वाले अभ्यर्थियों को कंडिका 10(III) (i) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र संख्या एवं तिथि प्रविष्ट करना होगा।

3. (i) पंचायत सचिव के पद की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध एक अभ्यर्थी किसी एक जिले की रिक्ति के विरुद्ध ही आवेदन दे सकते हैं।
- (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड की अधिसूचना सं0 5938 दिनांक 14.07.2016 के प्रावधानानुसार साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावाँ के अधीन निम्नवर्गीय लिपिक (समाहरणालय संवर्ग) तथा पंचायत सचिव की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन देने के पात्र होंगे। अर्थात् गुमला जिले के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही गुमला जिले के रिक्ति के विरुद्ध आवेदन दे सकते हैं।
- (iii) उपर्युक्त कंडिका (ii) में अंकित जिलों को छोड़ कर अन्य जिले की रिक्ति के विरुद्ध विवरणिका की पात्रता सम्बंधी शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि के अध्यधीन भारत का कोई भी नागरिक आवेदन देने के पात्र होंगे, परन्तु एक अभ्यर्थी के द्वारा पंचायत सचिव की एक से अधिक जिले की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन नहीं दिया जा सकता है।
- (iv) राज्य स्तरीय सम्वर्गों के पदों यथा निम्न वर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय सम्वर्ग), निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य-कर विभाग तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, आशुलिपिक खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्य स्तरीय सम्वर्गों के रिक्त पदों के विरुद्ध भारत का कोई भी नागरिक पात्रता संबंधी अन्य शर्तों के अध्यधीन आवेदन देने के पात्र होंगे। इनमें जैसे अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने इस विवरणिका के माध्यम से संसूचित निम्नवर्गीय लिपिक (समाहरणालय संवर्ग) के अन्तर्गत किसी जिले के रिक्ति के विरुद्ध आवेदन दिया हो। ऐसे अभ्यर्थियों के संदर्भ में अधिमानता क्रम में पद का विकल्प आवेदन पत्र में उपलब्ध होगा।
4. (i) परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी।
- (ii) एक से अधिक पदों/सेवाओं/जिलों में नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों से पदों/सेवाओं के लिए विकल्प लिया जायेगा और मेधा-सह-विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।
- (iii) इस विज्ञापन के लिए आवेदन प्राप्त के अंतिम तिथि तक सरकार से अधियाचना प्राप्त होने पर पदों/सेवाओं की संख्या में संशोधन किया जायेगा। आवेदन प्राप्त होने की अवधि विस्तारित होने की स्थिति में विस्तारित अवधि में प्राप्त पद/सेवा की अधियाचना को इस विज्ञापन हेतु नहीं जोड़ा जाएगा।

5. आरक्षित वर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक (समाहरणालय संवर्ग) तथा पंचायत सचिव की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या-02/2017 प्रकाशित की गयी है, जिसमें कुल रिक्ति 280 है। विज्ञापन सं० 01/2017 एवं 02/2017 दोनों के लिए अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापनों के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क देना होगा। दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जायेगी।

6.1 कंडिका-2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान (सांतवा वेतन पुनरीक्षण)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कौशल एवं अन्य परीक्षण
1	2	3	4	5
1.	निम्नवर्गीय लिपिक (समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग)	रु. 19900-45700	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	हिन्दी में 25 (पचीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 (दो सौ पचास) शब्दों को दस मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% (दो प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिये जायेंगे।
2.	पंचायत सचिव	रु. 21700-50000	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण
3.	निम्नवर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय संवर्ग)	रु. 19900-45700	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	हिन्दी में 25 (पचीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 (दो सौ पचास) शब्दों को दस मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% (दो प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिये जायेंगे।

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान (सांतवा वेतन पुनरीक्षण)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कौशल एवं अन्य परीक्षण
4.	निम्नवर्गीय लिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग)	रु. 19900-45700	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	हिन्दी में 25 (पचीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 (दो सौ पचास) शब्दों को दस मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% (दो प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिये जायेंगे।
5.	निम्नवर्गीय लिपिक वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग)	रु. 19900-45700	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	हिन्दी में 25 (पचीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 (दो सौ पचास) शब्दों को दस मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% (दो प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिये जायेंगे।
6.	आशुलिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम का आशुलिपिकीय संवर्ग)	रु. 19900-45700	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	अनारक्षित कोटि, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II के सन्दर्भ में हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी टाईपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी टाईपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति। अंग्रेजी टंकण एवं श्रुत लेखन में उत्तीर्णता अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी।

6.2 पचायत सचिव के पद का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में आयोजित कम्प्यूटर चालन परीक्षण में अभ्यर्थी के MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, E-mail भेजने एवं प्राप्त करने इत्यादि के व्यावहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इसके अधीन टंकण तथा Power Point Presentation तैयार करने के लिए अनुच्छेद (Paragraph), MS-Excel पर जाँच के लिए औसत, प्रतिशत, जोड़, घटाव इत्यादि से सम्बन्धित आंकड़े अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। प्रश्न के अनुसार इनका उत्तर तैयार कर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपने रजिस्टर्ड ई-मेल से प्रश्न में दिए गये ई-मेल पर भेजना

होगा। इसमें प्रत्येक खण्ड के लिए अधिकतम 25 अंक कुल 100 अंक निर्धारित रहेंगे। कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। उससे कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में अनुत्तीर्ण घोषित होंगे।

6.3 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के आशुलिपिक के पद के विरुद्ध आवेदकों के मुख्य परीक्षा के उपरांत लिए जाने वाले कौशल परीक्षण का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा:-

क) हिन्दी टाईपिंग	-	30 शब्द प्रति मिनट।
ख) हिन्दी आशुलेखन	-	80 शब्द प्रति मिनट।
ग) अंग्रेजी टाईपिंग	-	40 शब्द प्रति मिनट।
घ) अंग्रेजी आशुलेखन	-	100 शब्द प्रति मिनट।

कौशल परीक्षण में उत्तीर्णता के लिए अनारक्षित, अ.पि.व. अनुसूची-I, पि.व. अनुसूची-II के अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य होगा।

अंग्रेजी टंकण एवं श्रुतलेखन में उत्तीर्णता अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी।

6.4 शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे अयोग्य समझे जायेंगे।

7. (i) पंचायत सचिव के पद के लिये विहित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार सिर्फ एक जिला के लिये आवेदन/विकल्प दे सकते हैं।
- (ii) सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारी तलाकशुदा महिला इस श्रेणी के कर्णांकित पंचायत सचिव के पद के लिये आवेदन कर सकते हैं। उक्त प्रमाण पत्र की जाँच यथा समय आयोग द्वारा की जायेगी।
- (iii) विधवा महिला अभ्यर्थी द्वारा पंचायत सचिव पद के लिये पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र दिया जाना आवश्यक होगा, जिसकी जाँच यथा समय आयोग द्वारा की जायेगी।
- (iv) महिलाओं के कर्णांकित पद के लिए यदि योग्य महिला उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो इस दशा में पद रिक्त रहेंगे। इन पदों को अन्य कोटि के उम्मीदवारों से नहीं भरा जायेगा।
- (v) तलाकशुदा/विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

8. आयु सीमा : उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी:-

क्र. सं.	पद का नाम	संदर्भ तिथि
1.	निम्नवर्गीय लिपिक (समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग)	01.08.2015
2.	निम्नवर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय संवर्ग)	01.08.2015
3.	पंचायत सचिव	01.08.2016
4.	निम्नवर्गीय लिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग)	01.08.2017
5.	निम्नवर्गीय लिपिक (वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग)	01.08.2017
6.	<u>आशुलिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम का आशुलिपिकीय संवर्ग)</u>	01.08.2017

1. न्यूनतम उम्र :- 18 वर्ष ।
 2. अधिकतम उम्र :- (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25.01.2016 द्वारा यथा निर्धारित)

(क)	अनारक्षित	—	35 वर्ष ।
(ख)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग— (अनुसूची— 1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची—2 (पुरुष)	—	37 वर्ष ।
(ग)	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)	—	40 वर्ष ।
(घ)	झारखण्ड राज्य की स्थानीय निवासी महिला (अनारक्षित—झारखण्ड की स्थानीय निवासी), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची— 1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची—2	—	38 वर्ष ।
 - (i) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तता का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।
 - (ii) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. दृष्टि निःशक्त एवं चलन निःशक्तता श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राईब की सुविधा दी जायेगी। निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा। यह सुविधा सभी निःशक्त अभ्यर्थियों को निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी:—

निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा :

अंध/नेत्रहीन/कम दृष्टि, दोनों हाथ एवं बाँह में चलन निःशक्तता तथा सेरेब्रल पालसी से ग्रसित अभ्यर्थियों, जिसकी निःशक्तता प्रतिशत 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा इससे अधिक हो एवं पढ़ने-लिखने में असमर्थ हों, वैसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा देय है। निम्नांकित शर्तों पर निःशक्त अभ्यर्थी श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं:-

- (क) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH- Cerebral Palsy या Vision मुद्रित हो।
- (ख) निःशक्त अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (ग) श्रुतलेखक/स्क्राइब 10वीं कक्षा अथवा मैट्रिक से अधिक शिक्षित नहीं हो तथा वह अभ्यर्थी का निकट संबंधी नहीं हो।
- (घ) 10वीं कक्षा अथवा मैट्रिक की परीक्षा में श्रुतलेखक/स्क्राइब को 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त न हो।
- (ङ) श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के लिए निःशक्त अभ्यर्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व प्रवेश पत्र (Admit Card) में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को अपना आवेदन पत्र, स्वयं व्यवस्था किए गए श्रुतलेखक/स्क्राइब की **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-III)** में विवरणी तथा निःशक्तता प्रमाण की स्व-आभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायेंगे।
- (च) परीक्षा की तिथि को श्रुतलेखक/स्क्राइब के साथ अभ्यर्थी परीक्षा के $1\frac{1}{2}$ घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी अपने साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब नहीं लायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (छ) केन्द्राधीक्षक द्वारा निःशक्त अभ्यर्थियों को सभी पालियों की परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- (ज) वैसे अभ्यर्थी जिनकी Locomotor Disability एवं Cerebral Palsy से लिखने की क्षमता 40 प्रतिशत से ज्यादा किन्तु आंशिक रूप से प्रभावित हुई है, उन्हें श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा देय नहीं होगी, किन्तु उन्हें सभी पालियों में प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- (झ) श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा इस कोटि के अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक को परीक्षा के एक दिन पूर्व दिये गये आवेदन पर ही दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी यह सुविधा प्राप्त करने के लिये आवेदन नहीं देंगे उन्हें यह सुविधा देय नहीं होगी। परीक्षा के दिन श्रुतलेखक/स्क्राइब हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

10. आरक्षण :

- (I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगी। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे।
- (III) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:-

- (i) जाति प्रमाण पत्र- जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित-प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परिशिष्ट-I पर अंकित प्रपत्र तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1 एवं 2) के लिए परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
- (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के लिए दिनांक 31.03.2015 के पश्चात् विहित-प्रपत्र (परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- (iii) समाहरणालय सम्वर्ग के लिए रिक्त पदों में से अनुसूचित जिलों {कंडिका 3 (ii) में उल्लेखित} के अभ्यर्थियों को एवं महिलाओं के आरक्षित पदों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 9650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र) में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र की संख्या तथा तिथि आवेदन में अंकित करना होगा। जिसे प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से जाँच हेतु उपस्थापित करना होगा।

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है। आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करे तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गम तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I, परिशिष्ट-II एवं परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(iv) स्क्राईब हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र परिशिष्ट-IV पर उपलब्ध है।

11. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना : ऑन-लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से

पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेबसाईट www.jssc.in पर जाएँ एवं Online Application for IS(CKHT)CCE-2017 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि जन्म तिथि, जाति, निःशक्त जन प्रमाण पत्र, अधिसूचित जिले का अधिवास, अधिमानता क्रम में पदों का विकल्प इत्यादि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा जिन प्रमाण पत्रों की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया गया है उन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति जाँच कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से जाँच हेतु उपस्थापित करना होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।

12. पदों के लिए विकल्प:—

अर्हता प्राप्त आवेदक एक से अधिक पदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार अधिमानता क्रम में दे सकते हैं, परन्तु अधिसूचित जिलों (यथा विवरणिका की कंडिका 3 (ii) में अंकित) की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध उसी जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन देने के पात्र होंगे।

इंटरमीडिएट अथवा 10+2 के साथ पद विशेष की अपेक्षानुसार कौशल परीक्षण की योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी पदों का विकल्प अधिमानता क्रम में दे सकते हैं।

विकल्प दो खण्डों में होगा। प्रथम विकल्प पदों के लिए तथा द्वितीय विकल्प जिलों के लिए (जहाँ लागू हो) होगा। इस आशय की सुविधा ऑन-लाईन आवेदन भरने के क्रम में उपलब्ध रहेगी।

13. परीक्षा का स्वरूप :

13.1 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :- परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी –

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परन्तु परीक्षा के 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी। परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर जिस स्तर की परीक्षा ली जाएगी, उसी स्तर का होगा।

13.2 प्रारम्भिक परीक्षा – सामान्य ज्ञान से संबंधित इस परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटों की होगी।

(क)	सामान्य अध्ययन	–	30 प्रश्न
(ख)	झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	30 प्रश्न
(ग)	सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ)	मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
(ङ)	कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित प्रश्न	–	20 प्रश्न

13.3 प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम**पत्र— सामान्य ज्ञान****(i) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :-**

(क) **सामान्य अध्ययन :-** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

(ख) **झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:-** झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान-खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ग) **सामान्य गणित :-** इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच :-** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं — सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) **कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर हिन्दी टंकण से संबंधित ज्ञान:-** इसमें कम्प्यूटर विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

13.4 मुख्य परीक्षा— मुख्य परीक्षा के लिये तीन पत्र होंगे :-

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी।

पत्र 1 — विषय : (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान — 60 प्रश्न

हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रत्येक में अनुच्छेद आधारित 20 प्रश्न एवं व्याकरण आधारित 40 प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान – 60 प्रश्न

कुल – 120 प्रश्न

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30 प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

पत्र 2 – (क्षेत्रीय / जनजातीय अन्य भाषा ज्ञान)

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दु/संथाली/बंगला/मुण्डारी/मुण्डा/हो/खड़िया/कुडूख (उराँव)/ कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनीया/उड़िया/संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के एक सौ (100) बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

पत्र 3 – इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 (एक सौ बीस) होंगे एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी:—

सामान्य अध्ययन	–	30 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	40 प्रश्न
कम्प्यूटर का ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण संबंधित ज्ञान	–	50 प्रश्न
कुल	–	120 प्रश्न

टिप्पणी—(1) पत्र-1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

(2) पत्र-2 जनजातीय/क्षेत्रीय/अन्य भाषा ज्ञान तथा पत्र-3 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हतांक नहीं होगा।

(3) पत्र-1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र-2 एवं पत्र-3 में प्राप्त अंकों को जोड़ कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

13.5 मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम :—

पत्र-1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :—

(प) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	–	20 प्रश्न
(पप) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न	–	40 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र-1 (अंग्रेजी भाषा ज्ञान)

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :—

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 40 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र-2 (क्षेत्रीय / जनजातीय अन्य भाषा ज्ञान)

kudukh

1. व्याकरण – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली, काल आदि।
2. साहित्य-गद्य साहित्य-

जतरा अप सेन्दरा – बिरसा भगत

कुडुखर गही नेग अरा धरम – जम्बुआ कुजूर

अंजेला- इग्नेस कुजूर

राय साहब बंदीराम उरॉव – अहलाद तिकी।

रुइदास कुडुखर बेलस – ए. ग्रिगनाड

टना भगतर – डॉ. फिलिप एक्का

पद्य साहित्य –

जड़ी पेल्लो – दवले कुजूर

जतरा – डब्ल्यू जी० आर्चर

खेड्ड चम्बी –डॉ० निर्मल मिंज

रासी सुकखे गही –दवले कुजूर

अलखा अमके – जस्टिन एक्का

खद्द परिया – पदम् श्री जुवेल लकड़ा

कुडुखर लोक साहित्य, लोक गीत, कहानी एवं निबंध

हिन्दी

पुस्तक – आरोह भाग-2

काव्य खण्ड

1. आत्म परिचय, दिन जल्दी-जल्दी ढलता है- हरिवंश राय बच्चन
2. पतंग – आलोक धन्वा

3. कविता के बहाने, बात सीधी थी पर – कुँवर नारायण
4. कैमरे में बंद अपाहिज– रघुवीर सहाय
5. सहर्ष स्वीकार है – गजानन माधव मुक्तिबोध
6. उषा – शमसेर बहादुर सिंह
7. बादल राग – निराला
8. कवितावली – तुलसीदास
9. रूबाइयाँ गजल – फिराक गोरखपुरी
10. छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख – उमाषंकर जोशी

गद्य खण्ड

11. भक्तिन – महादेवी वर्मा
12. बजार दर्शन – जैनेन्द्र कुमार
13. काले मेघा पानी दे – धर्मवीर भारती
14. पहलवान की ढोलक – फणीश्वर नाथ रेणु
15. चार्ली–चैप्लिन यानी हम सब – विष्णु खरे
16. नमक – रजिया सज्जाद जहीर
17. शिरीष के फूल – हजारी प्रसाद द्विवेदी
18. धर्म विभाजन और जातिप्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज – भीमराव अम्बेडकर

पुस्तक–वितान भाग–2

1. सिल्वर वैडिंग – मनोहर श्याम जोशी
2. जूझ – आनन्द यादव
3. अतीत के दबे पाँव – ओम थानवी
4. डायरी के पन्ने – ऐन फ्रैंक

जनसंचार माध्यम

रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, कार्यालयी पत्र टिप्पणी, समाचार, संपादकीय ।

व्याकरण

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, निबन्ध लेखन, पत्रलेखन, विशेष लेखन ।

English Language and Literature

1. Language

- Error Recognition
- Fill in the Blanks
- Grammar- Adjective, noun, pronoun, verb, subject-verb Agreement, Interchangeability of noun and verb, Gerund, Participle, Infinitive, Adverb, Tense, Clause, Transformation, Narration, voice, Preposition.
- Synonyms
- Antonyms
- Idioms & Phrases
- Comprehension Passage etc.

2. Literature

- **Novel-** The Inheritance of Loss – Kiran Desai; Death of a Salesman- Arthur Miller; Robinson Crusoe- Daniel Defoe; Sense and Sensibility- Jane Austen; He Who Rides a Tiger- Bhawani Bhattacharya.
- **Drama** – The Merchant of Venice- William Shakespeare; Arms and the Man- G.B. shaw; Tara- Mahesh Dattani; The Way of the World- William Congreve.
- **Poetry** – Sonnet 60- William Shakespeare; The Rainbow-William Wordsworth; Home Thoughts from Abroad- Robert Browning; Lead Kindly Light – Cardinal Newman; Preface to In Memoriam – Alfred Lord Tennyson; Where The Mind is Without Fear – Rabindranath Tagore; Essay on Man-Alexander pope; the Harp of India- H.L.V. Derozio
- **Short Stories** – The Necklace- Guy De Maupassant (Trans); an Astrologers Day- R.K. Narayan; The Home Coming-

Rabindranath Tagore; A cup of Tea- Katherine Mansfield; Mrs. Adis-Sheila Kaya Smith; God Sees the Truth, But Waits-Leo Tolstoy.

- **Essay-** A Slip of The Tongue- J.E.B. Gray; God sees the Truth, But Waits- Leo Tolstoy; The English Gentleman- Mahatma Gandhi; The Bottle Imp- R.L. Stevenson; Opportunity for Youth- Jawaharlal Nehru; A Call To Youth- S. Radhakrishnan; on Travel by Train- J.B. Priestley.
- **History of the English Language :** A History of English Language- A.C. Baugh, Origins of the English Language – Joseph Willies.
- **Phonetics** – A Text Book of English Phonetics for Indian students- Balasubramaniam, A Course In Phonetics- P. Ladefoged.

Urdu

1. Prose

- I. Haj-e-Akbar - Premchand (Story)
- II. Bhola - Rajinder Singh Bedi (Story)
- III. Chhauri ka Joda - Asmat Chughtai.

2. Urdu Poem

- I. Jugnoo - Iqbal
- II. Kaljug - Nazeer Akbarbadi
- III. Mustaqbil - Akbar Allahabadi
- IV. Khak-e-Hind - Pandit Brijnarayan Chakbast.

3. Urdu Grammar

- I. Gender
- II. Singular
- III. Plural
- IV. Meaning
- V. Opposite.

कुरमाली

1. व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, विशेषण, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, पहेली (बुझौवल)
2. कुरमाली लोक साहित्य : लोक साहित्य का तात्पर्य, परिभाषा, वर्गीकरण एवं महत्व।
3. लोकगीत : डाँडूधरा गीत (पांतागीत), करमगीत, बिहारगीत, डमकच, ढपगीत।
4. कहानी : सबरनाखा नदीक जन्म, सात भाई एक बहिन, करमा-धरमा, पुइतू बूढ़ा।
5. निबंध : शहीद रघुनाथ महतो, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, सृष्टिधर सिंह देव कटियार, टूसू परब।
6. साहित्यकार : डॉ० नन्द किशोर सिंह, लखीकान्त मुतरुवार, केशव चन्द्र टिडुआर।

हो

1. हो व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, लिंग, वचन, पुरुष, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावत, पहेली आदि।
2. साहित्य :-
 - I. पद्य संग्रह
 - II. गद्य संग्रह
 - (i) पद्य साहित्य :- लिटा मसुरि बिर विरड्, मा अरदास, बा अटेडाकन दिसुम बनो, जुलो: चा, एना दो ओकोन दिसुम तोरं।
 - (ii) गद्य साहित्य :- बहरोत, गिंदरू देयोआं, मुनु दोस्तुर अर मागे पोरोव, बा पोरोव एंगा हयम ममरं, कक्हारम्बड, नुड़हाम, सिंग दिसुम।

खोरठा

1. गद्य भाग

2. पद्य भाग

सहायक पुस्तक—खोरठा गद्य—पद्य संग्रह

(क) प्रकाशक—खोरठा साहित्य: साहित्य संस्कृति परिषद् बोकारो

(ख) खोरठा निबन्ध—लेखक— डॉ० बी०एन० ओहदार

(ग) डाह नाटक — सुकुमार

(घ) फरीछ डहर (कहानी संकलन) — लेखक— पंचम महतो

पद्य साहित्य :-

सहायक पुस्तकें :-

(क) एक पथिया डोगल महुआ— लेखक— सन्तोष महतो

(ख) सोंध माटी — डॉ० विनोद कुमार

कविता भाग

(ग) डिडांक डोआनी— लेखक— वंशी लाल वंशी

(घ) तातल और हेमाल— लेखक— शिवनाथ प्रमाणिक

कविता संग्रह

3. खोरठा व्याकरण — लेखक— ए०के० झा

4. निबंध— समसामयिक विषय पर

खड़िया

1. व्याकरण :- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, सजीव—निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, बुझावल आदि।

2. साहित्य :-

(क) खड़िया लोक साहित्य का उद्भव एवं विकास, अर्थ, परिभाषा, भाग—विभाग, खड़िया जाति।

(ख) लोकगीत — जाड.कोर, करम, बन्दोई, जनम पर'ब, कदलेटा, मुरड', कसासिड।

(ग) लोक कहानी — कथा कभनेइत

(घ)निबंध – शहीद तेलेंगा खड़िया, गोपाल खड़िया, खड़िया महासभा, बंदोई, जाड. कोर, करम, जनम पर'ब।

3. साहित्यकार— 1. प्यारा केरकेट्टा 2. पौलुस कुल्लू 3. जुलियुस बा' 4. डॉ0 रोज केरकेट्टा 5. जोवाकिम डुंगडुंग

पंच परगनिया

1. पंचपरगनिया व्याकरण :- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष, जीव-निर्जीव, समान शब्द, उल्टा शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बझौवल आदि।
2. साहित्य—पंचपरगनिया, लोक साहित्य, अर्थ, परिभाषा, भाग—विभाग, पंचपरगनिया भाषा का उद्भव एवं विकास।
3. लोक गीत एवं मध्यकालीन कवियों के गीत – पुसगीत, बिहा गीत, सँहरइ गीत, करम गीत, मंत्र आदि।
4. लोक कहानी— पँठी रानी, कारला रानी, चालाक बिलाइ, सिआर केर फेउ बुढा मुड़ेना लगाबे, भादा, बुधुवा आदि।
5. निबंध— गोड़डीह केर वन अंचल, मुण्डाओं का गाँव धरमपुर, गीत—गोविन्द आर बइउकि, आदि।
6. शिष्ट गीत/कविता—चंचलमन, उदवेग, रोक, दुख आदि।
7. साहित्यकार—ज्योति लाल माहादानी, दीन बन्धु महतो, चन्द्र मोहन महतो, परमानन्द महतो, करमचन्द्र अहीर।

संताली

1. **व्याकरण** :- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, सजीव-निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बुझोवोल
2. **साहित्य** :-
संताली लोक साहित्य – अर्थ, परिभाषा, भाग—विभाग, संतालों का उद्भव और विकास।
लोकगीत – डाहार, बाहा, सोहराय, काराम, दोड. सेरेज
कहानी— आगिल हापड़ाम कोवा: काथा, सोहराय, कविता, सोपोदान
निबंध— सिदोकन्हू हुल, बाबा तिलका माँझी हुल डिबा किसुन, बिरसा हुल

साहित्यकार— डोमन साहु समीर, भागवत मुरमू ठाकुर, दिगम्बर हाँसदाः, ठाकुर मुरमू ठाकुर, बाबूलाल मुरमू, केवलराम सोरेन, आदित्य मित संताली आदि ।

उडिया

1. गद्य विभाग :-

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| I. स्वाधीन चिन्ता | — | विश्वनाथ कर |
| II. ओडिया जाति किए | — | गोपबन्धु दास |
| III. क्षमा | — | मायाधर मानसिंह |
| IV. जातीय जीवन ओ संस्कृति | — | गोलक बिहारी धल |
| V. लेखकर संसार | — | किशोरी चरण दास |
| VI. मधुसूदन | — | चन्द्रशेखर रथ |

सहायक पुस्तक : गद्य धारा (ओडिशा राज्य पाठ्य पुस्तक प्रणयन संस्था, भुवनेश्वर)

2. पद्य विभाग :-

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| I. एणु कपोत गुरू मोर | — | जगन्नाथ दास |
| II. मो जीवन पछे नर्के पडि थाउ | — | भीम भोइ |
| III. मुँ हाट बाहुड़ा | — | फकीर मोहन सेनापति |
| IV. उठ कंकाल | — | गोदावरीश मिश्र |
| V. ग्रामपथ | — | बिनोद चन्द्र नायक |
| VI. शरत ऋतुर जन्ह — | — | गुरू प्रसाद महान्ती |

सहायक पुस्तक :- पद्य धारा (ओडिशा राज्य पाठ्य पुस्तक प्रणयन संस्था, भुवनेश्वर)

3. नाटक :-

- | | | |
|------------------|---|------------------|
| I. बक्सी जगबन्धु | — | मनोरंजन दास |
| II. अभियान | — | कालीचरण पट्टनायक |

4. काव्य :-

- | | | |
|--------------|---|---------------|
| I. पल्लिश्री | — | सच्चि राउतराय |
| II. चिलिका | — | राधा नाथ राय |

5. व्याकरण :-

विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, विभक्ति, अव्यव, क्रिया, संधि, समास, युग्म शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकपदी करण, साधारण अशुद्धि।

संस्कृत भाषा

ये प्रश्न इण्टरमीडिएट स्तर की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होंगे। झारखण्ड राज्य में इण्टर स्तर पर स्वीकृत पाठ्य पुस्तक ऋतिका (भाग-1 एवं भाग-2) के सभी पाठों के विषय तथा उनमें अनुप्रयुक्त व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न इसमें मुख्य रूप से शामिल किये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त शब्द रूप तथा धातु रूप इनमें शामिल होंगे—

शब्द रूप

बालक, फल, रमा, पति, मति, वारि, नदी, शिशु, धेनु, मधु, वधू, पितृ, मातृ, कर्तृ, राजन्, गच्छन्, भवत्, आत्मन्, विद्वस, यत्, तत्, किम्, इदम्, अस्मद्, युष्मद्।

धातु रूप (लट, लोट, लृट, लङ्, तथा विधि लिङ्ग लकारों में)

पठ्, गम्, लिख्, पा, स्था, दृश, अस्, भक्ष्, घ्रा, हन्, श्रु, नृत्, स्पृश, चर, कथ्, कृ, ज्ञा, शक्, तथा क्री।

अनुप्रयुक्त व्याकरण

कर्ता, क्रियापद चयन, समानार्थक, विलोमार्थक, सर्वनाम, संज्ञा, विशेष्य, विशेषण, अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा।

कारक, उपपद विभक्ति प्रयोग, वाच्य परिवर्तन (केवल लट् लकार में)

नागपुरी

1. **व्याकरण** :- वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, धातु, क्रिया, वाक्य, अव्यव, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द।

2. **साहित्य** :-

(क) नागपुरी लोक लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, बुझौवल, कहावत, मुहावरे।

(ख) लोकगीत में— फगुआ, डमकच, अंगनई, मरदानी झूमर, बंगला झूमर, उदासी, पावस, लहसुवा, झुमटा।

(ग) लोक कथा से — वन हरनी कर बेटा, बुधू भंडारी, भाई—बहिन, बालमइत रानी।

बनफूल भाग — एक— (नागपुरी गद्य—पद्य संग्रह)— डॉ० कुमारी वांसती।

मुण्डारी

1. **व्याकरण** :- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, सजीव-निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बझौवल

2. **साहित्य** :- मुण्डारी लोक साहित्य- अर्थ, परिभाषा, भाग-विभाग, मुण्डाओं का उद्भव और विकास।

लोकगीत :- बा, करम, सोहराई, अड़ान्दि।

कहानी :- करम कहानी, पशु-पक्षी, जीव जन्तुओं की कथा, पहाड़ों की कथा, देवी देवताओं की कथा, कविता आदि।

निबन्ध :- बिरसा आन्दोलन उलगुलान, गया मुण्डा, चोट्टि मुण्डा, माडा परब, मुण्डाओं की उत्पत्ति।

साहित्यकार :-

1. डॉ० रामदयाल मुण्डा,
2. दुलय चन्द्र मुण्डा,
3. काण्डे मुण्डा

Bengali Language and Literature

(I) Prose, Poetry

(A) Jibansmriti- Rabindranath Thakur (Selected)

Shiksharambha, Ghar O Bahir, Bhritya rajak Tantra,

Kabita Rachanranbha, Shrikantha Babu, Pitri deb.

(B) Poetry (Selected) Madhukari- Kalidas Roy.

i. Atrimunir Ashrame Shree Ram Chandra- Krittibas.

ii. Ishwari Patani – Bharatchandra

iii. Bangabhasa – Madhusudan Dutta

iv. Nirjharer Swapnobhango – Rabindranath Thakur

- v. Hat- Jatindra Nath Sen Gupta
- vi. Kandari Hunshiar- Najrul Islam
- vii. Atharo Bachhor – Sukanta Bhattacharjee

(C) Grammar :-

Samas, Sandhi, Bagdhara, Vinnarthak Shabdojngal.

(D) Essay – (One)

पत्र-3 (सामान्य ज्ञान)

- (क) सामान्य अध्ययन:— इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।
- (ख) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:—झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा स्थान, खान-खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, किस योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।
- (ग) कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित ज्ञान:— इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- 14.** प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common Merit List) तैयार की जाएगी और उपलब्धता के आधार पर आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन, मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा।
- 15(i)** विवरणिका की कंडिका 6.1 स्तंभ 2 तथा 6.2 के आलोक में पद के विकल्प के आधार पर पद विशेष की अपेक्षा के अनुसार मुख्य परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षण लिया जाएगा। इसमें अपेक्षानुसार अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा/कम्प्यूटर चालन परीक्षण/ आशुलेखन एवं टंकण की परीक्षा ली जायेगी। इसमें उत्तीर्णता के मानक निम्नवत् रहेंगे :-

क) टंकण जाँच :- इसमें में सम्बंधित अभ्यर्थी को हिन्दी भाषा में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए दो प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार को चयन के लिए अयोग्य करार दिया जायेगा।

ख) कम्प्यूटर चालन परीक्षण:- विवरणिका की कंडिका 6.2 के आलोक में अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर चालन परीक्षण लिया जाएगा जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ग) आशुलेखन एवं टंकण जाँच:- विवरणिका की कंडिका 6.3 के आलोक में आयोजित आशुलेखन एवं टंकण जाँच में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए अनारक्षित, अ.पि.व. अनुसूची-I, पि.व. अनुसूची-II के अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य होगा। इससे कम गति वाले अभ्यर्थी को आशुलेखन एवं टंकण जाँच में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

अंग्रेजी टंकण एवं श्रुतलेखन में उत्तीर्णता अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी।

(ii) प्रथम चरण में रिक्तियों के ढाई गुणा अभ्यर्थियों की टंकण जाँच/कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जायेगी।

16. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

(i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में कंडिका-13.4 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक के योग के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और मेधा-सह-विकल्प (Merit-cum-Option) के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(ii) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त कंडिका 13.4 के आधार पर सामान्य मेधा-सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के अनुसार आरक्षणवार चयन सूची गठित होगी। परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-

- | | |
|--|------------------------------------|
| (I) अनारक्षित | - 40 (चालीस) प्रतिशत |
| (II) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति | - 32 (बत्तीस) प्रतिशत |
| (III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- (अनुसूची-1) | - 34 (चौतीस) प्रतिशत |
| (IV) पिछड़ा वर्ग- (अनुसूची-2) | - 36.5 (छत्तीस दसमलव पाँच) प्रतिशत |
| (V) झारखण्ड राज्य की स्थानीय महिला | - 32 (बत्तीस) प्रतिशत |

(v) उपर्युक्त कंडिका 13.4 के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्रों के जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

17. परीक्षा शुल्क :

परीक्षा शुल्क रू. 460/- (रूपये चार सौ साठ) है।

परीक्षा शुल्क में छूट:- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू. 115/- (रूपये एक सौ पन्द्रह) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अपेक्षित राशि का भुगतान भी करना होगा।

18. ऑन-लाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए दिशा निदेश :

(I) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(II) आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा- तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।

(III) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाईट www.jssc.in पर जाएँ एवं Online Application for IS(CKHT)CCE-2017 को Click करें। तत्पश्चात् अपना पंजीकरण (Registration) करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनो की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही आप पुनः लॉगिन करें एवं आप अपने बारे में विस्तृत सूचना तथा अपना स्कैन (Scanned) किया हुआ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें। ऑनलाईन आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है अन्यथा भरे गये आवेदन का प्रिंटआउट (print out) नहीं निकल पायेगा। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12.00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के दो दिनों के बाद पुनः लॉगिन कर आप भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा Online आवेदन Submit नहीं हो पायेगा। ऑन-लाईन आवेदन भरने के लिए लिंक दिनांक 02.05.2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न से उपलब्ध होगा तथा आवेदन को भेजने (Submit) करने की अन्तिम तिथि दिनांक 15.06.2017 मध्य रात्रि तक होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रथमतः Online आवेदन पत्र में प्रारंभिक विवरण भरा जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या डालकर आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अपना आवेदन पत्र Submit करेंगे। दिनांक 09.06.2017 संध्या 05.00 बजे के बाद अभ्यर्थी अपना प्रारंभिक विवरण नहीं भर पायेंगे एवं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पायेंगे। दिनांक 15.06.2017 के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए लिंक खुला रहेगा। दिनांक 15.06.2017 के मध्य रात्रि के बाद लिंक पूर्णतः बंद हो जायगा।

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए www.onlinesbi.com पर जाकर State Bank Collect Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें State of Corporate/Institution के सामने Jharkhand Select करें तथा Type of Corporate/Institution के सामने Govt. Department Select करें तथा Go बटन दबा कर अगला पेज खोलें जिसमें Govt. Department Name के विरुद्ध Jharkhand Staff Selection Commission Select कर Submit बटन दबा दें। इसके बाद Select Payment category के सामने IS(CKHT)CCE-2017 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

(IV) ऑनलाईन आवेदन में अंकित सभी प्रमाण पत्रों की मूल रूप में प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित होकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।

19. नियुक्ति :

- (i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्याधीन होगी।

20. अन्यान्य :

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:-
 - (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :-
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :-
 - (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।
 - (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
 - (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

- (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
- (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
- (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का मुख्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जाँय। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाँय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त प्रमाण पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस को साथ रखना होगा। जिसकी यथा आवश्यक जाँच की जा सके।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में किसी प्रविष्टि अथवा फोटो में त्रुटि हो तो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को आवेदन देकर परीक्षा में शामिल हो सकेगें तथा आवेदन के साथ स्व:प्रमाणित प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति देना अनिवार्य होगा। साथ ही फोटो पहचान पत्र मूल में अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में अपने साथ रखना होगा।

(xviii) परीक्षा में Carban less OMR Answer Sheet का उपयोग होगा तथा परीक्षा के बाद Computer के माध्यम से मूल्यांकन कार्य सम्पादित होता है। सभी अभ्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि OMR Answer Sheet पर आवश्यक प्रविष्टि (Entry) के अलावे उस पर किसी प्रकार का अन्य चिन्ह नहीं बनावे अन्यथा मूल्यांकन में त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। OMR Answer Sheet पर उत्तर के लिए संबंधित गोला को इस प्रकार Black Ball Point Pen से पूरा काला (Darken) करें जिससे कि किसी अन्य गोला पर कोई निशान/चिन्ह नहीं बनने पाये अन्यथा मूल्यांकन प्रभावित होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(xix) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेवसाईट पर दिया जायेगा।

(xx) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(xxi) अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए परीक्षा के परिणाम प्रकाशित होने के बाद अभ्यर्थियों का अंक आयोग के वेवसाईट पर Upload होगा। **प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंको की जानकारी नहीं दी जायेगी।**

ह./—
परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 7/जा.नि.
-19-11/2008 का.-5682 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र-I

.....
(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण-पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या-.....

तिथि:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्लाडाकघर.....
..... थाना जिला राज्य..... अनुसूचित
जाति'/अनुसूचित जनजाति' श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो
झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति'/अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा....
....., शहर....., जिला....., राज्य.....में निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. ' बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. ' अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-
7/जाति-19-11/2008 का-10007 दिनांक 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र-II

**झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा
वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री
..... ग्राम/शहर थाना ...
..... जिला झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों
एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के
लिए) अधिनियम-2001'ए' की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग
(अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त
समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के
संकल्प संख्या-3482 दिनांक- 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के
कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक- 08.09.1993 की अनुसूची के
स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. ' झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. " झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 14/स्थानीयता.
नीति-14-03/2016 का-4650 दिनांक- 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक- 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

.....
(कार्यालय का नाम)
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्री..... पता-ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०.....
.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह
प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198
दिनांक- 18.04.2016 की कंडिका- में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया
गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के
स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट (IV)

संयुक्त इंटरमीडियेट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में
हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु)प्रतियोगिता परीक्षा-2017
श्रुतलेखक/स्क्राइब की विवरणी

1. अभ्यर्थी का नाम.....2. रोल नं.-
3. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत-
4. परीक्षा केन्द्र का नाम
देँ) 5. परीक्षा कक्ष सं. (इसे खाली छोड़
6. श्रुतलेखक/स्क्राइब का नाम-
7. श्रुतलेखक/स्क्राइब के पिता/पति का नाम-
8. श्रुतलेखक/स्क्राइब का पता-
9. श्रुतलेखक/स्क्राइब की जन्म तिथि-
- 10.श्रुतलेखक/स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा या कोर्स का नाम	संकाय	वर्ष	उत्तीर्ण/अध्ययनरत	प्राप्तांक का प्रतिशत	बोर्ड/महाविद्यालय
1	2	3	4	5	6

मैट्रिक/हाई/स्कूल/सेकण्डरी

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि श्रुतलेखक/स्क्राइब श्री/श्रीमती/सुश्री 10वीं/मैट्रीक तक शिक्षित हैं तथा मेरे निकट संबंधी नहीं हैं। उक्त घोषणा गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द कर दी जाय।

श्रुतलेखक/स्क्राइब का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

11. टिप्पणी-

वीक्षक का हस्ताक्षर

केन्द्राधीक्षक का हस्ताक्षर